<u>न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1</u> <u>तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)</u>

<u>व्य0वा0क0-300036ए / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक-27.06.2016</u>

सुबेलाल उम्र	–60 साल पिता धन्नुला	ल जाति गढ़ेवाल,
निवासी कटंग	ी तहसील बैहर जिला	बालाघाट। वादी ।

-// विरूद्ध//-

1.सहरूलाल उम्र–51 साल पिता माहुलाल, जाति गढ़ेवाल, निवासी कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट। 2.मध्यप्रदेश राज्य की ओर–श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।

.....<u>प्रतिवादीगण</u>।

-//<u>निर्णय</u>//-(<u>आज दिनांक-29/04/2017 को घोषित</u>)

- 1. वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेत् प्रस्तुत किया है।
- वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एक ही परिवार के सदस्य होकर गढेवाल जाति के है। वादपत्र के पैरा एक में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का खानदानी सजरा दर्शाया गया है। वादी के पिता धन्नुलाल ने विवादित भूमि मौजा कटंगी खसरा नंबर 97 रकबा 40 डिसमिल का सौदा विकेता बखरूलाल से कर बखरूलाल को रकम अदा कर विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त कर कृषि कार्य किया था। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर वादी कब्जा बना रहा था। वादी विवादित भूमि पर मालिक के रूप में काबिज होकर विरोधी आधिपत्य बनाये हुये है, परन्तु वादी को इस बात की जानकारी हुई कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा चोरी-छिपे विवादित भूमि का विक्रय पंजीयन स्वयं के नाम से करवा लिया है, इसलिए वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 को भूमि का कभी कब्जा नहीं दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी के पिता से भी कोई कब्जा नहीं मांगा था। वादी का 70 वर्षों से विरोधी आधिपत्य के रूप में कब्जा चला आ रहा है। वादी ने विरोधी आधिपत्य होने के कारण तहसीलदार बैहर के समक्ष विवादित भिम पर कब्जेदार की हैसियत से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाने का आवेदन दिया था, जिस पर प्रतिवादी ने आपित्त दर्ज की थी। पटवारी हल्का ने आपित्त के आधार पर मौके की रिपोर्ट तैयार की थी एवं वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा पाया था। विवादित भूमि पर वादी का विरोधी आधिपत्य होने के कारण प्रतिवादी को विवादित भूमि पर प्रवेश करने एवं भूमि का सीमांकन करने से निषेधित किया जाना एवं वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही रोकी जाना आवश्यक है। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।
- 3. प्रतिवादी कमांक 01 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर बताया है कि वादी को दिनांक 20.11.2014 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। विवादित भूमि को हड़पने की नियत से झूठे वाद कारण के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। विशेष कथन में प्रतिवादी कमांक—1 ने बताया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 97 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि प्रतिवादी कमांक 01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिसे प्रतिवादी कमांक 01 ने स्वयं की कमाई से बखरूलाल से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का आधिपत्य है। वादी द्वारा तहसीलदार बैहर के न्यायालय में विपरीत आधिपत्य के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो निरस्त हो चुका है। इसके विपरीत भी वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाता है। वादी ने राजस्व अभिलेखों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादग्रस्त भूमि पर क्य दिनांक से प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 4. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 दिनांक 02.11.2016 को एकपक्षीय हो गया है, इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है।

5. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क मां क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी का वादग्रस्त भूमि मौजा कटंगी प.ह.नं.18 खसरा नंबर 97 रकबा 40 डिसमिल पर विगत 70 वर्ष से अबाध प्रतिवादी की जानकारी में उसके स्वत्व को नकारते हुये आधिपत्य चला आ रहा है ?	
2	क्या वादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित किया जा सकता है ?	''प्रमाणित नहीं''
3	क्या प्रतिवादी को वादी के बेदखली की कार्यवाही के विरूद्ध स्थाई रूप से निषेधित किया जा सकता है ?	''प्रमाणित नहीं''
4	सहायता एवं खर्च ?	वादी का वादपत्र निर्णय की कंडिका—14 के अनुसार निरस्त किया गया है।

वादप्रश्न क01 एवं 02 का निराकरणः

- 6. वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 एक—दूसरे से संबंधित है, इस कारण उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- वादी सुबेलाल वा.सा.01 ने स्वयं के शपथपत्र की मुख्यपरीक्षणीय साक्ष्य में अभिकथित किया है कि उसके खानदानी सिजरा में मूल पुरूष माहूलाल एवं उसके पिता धन्तुलाल फौत हो चुके है, जिनके द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा कटंगी प.ह.नं.18 खसरा नंबर 97 रकबा 40 डिसमिल का सौदा क्रय कर उक्त विक्रेता बखरूलाल से क्रय की थी। वादी के पिता द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य किया जाता था एवं उक्त भूमि पर एक गाय कोठा बनाया गया था। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त स्थल पर वादी का कब्जा बना रहा है। वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के रूप में काबिज है। वादी को जब इस बात की जानकारी हुई कि प्रतिवादी द्वारा चोरी-छिपे वादग्रस्त भूमि का पंजीयन स्वयं के नाम से करा लिया है, इसलिए वादी ने प्रतिवादी को कभी वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं दिया। प्रतिवादी ने वादी एवं उसके पिता से कभी कब्जा भी नहीं मांगा था। वादी उसके पिता के समय से करीब 70 वर्षी से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादी ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर तहसीलदार बैहर के समक्ष कब्जा होने की हैसियत से वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन दिया था। इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा आपितत दर्ज की गई थी। तहसीलदार बैहर ने हल्का पटवारी से इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई थी, तब पटवारी द्वारा दिनांक 20.11.2014 को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की थी, उस पर वादी का कब्जा पाया था। वादी ने बताया है कि उसका विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिकल कब्जा होने के कारण उसे विवादित भूमि पर स्वत्व दिया जाना उचित है। इस संबंध में वादी के साक्षी भारत दीवान वा.सा.02, गणेश पंचेश्वर वा.सा.०३ ने उनके शपथपत्र की मुख्यपरीक्षणीय साक्ष्य में वादी की साक्ष्य

का समर्थन किया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में भूमि सर्वे क्रमांक 97 रकबा 0. 162 ग्राम कटंगी का वर्ष 2015—16 खसरा पांचसाला प्र.पी.01 भूमि सर्वे क्रमांक 97 रकबा 0.162 हेक्टेयर प.ह.नं.18 का पटवारी का स्थल जांच प्रतिवेदन प्र.पी.02 एवं उक्त भूमि का पटवारी का स्थल निरीक्षण पंचनामा प्र.पी.03 प्रस्तुत किया है।

- प्रतिवादी सहरूलाल प्र.सा.१ ने उसके शपथपत्र की मुख्यपरीक्षणीय साक्ष्य 8. में वादी की साक्ष्य का खंडन करते हुये बताया है कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कब्जे की भूमि है, जिसे प्रतिवादी ने बखरूलाल की पत्नी एवं पुत्र-पुत्रियों से दिनांक 31.10.75 को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर कब्जा स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया था। उक्त दिनांक से ही प्रतिवादी कुमांक 01 उक्त भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। वादी के द्वारा एक आवेदन पत्र वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो निरस्त हो चुका है। वादी, प्रतिवादी के कब्जे एवं आधिपत्य की भूमि पर दखल देकर उक्त भूमि को हड़पने का प्रयास करता रहता है। वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी कास्त नहीं की है। वादी द्वारा उक्त भूमि पर सरसो एवं तुवर की फसल नहीं बोई गई है। प्रतिवादी कुमांक-1 के साक्षी सम्हारूलाल प्र.सा.02 ने स्वयं के शपथ पत्र के मुख्यपरीक्षणीय साक्ष्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 की साक्ष्य का समर्थन करते हुये यह बताया है कि वादी उसके मकान एवं बाड़ी से लगी हुई प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करता रहता है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक 31.10.75 का प्र.डी.01 का विक्रय पत्र एवं उक्त विक्रय पत्र की प्र.डी.02 की सत्यप्रतिलिपि एवं भूमि सर्वे क्रमांक 97 रकबा 0.162 ग्राम कटंगी का वर्ष 2016–17 के खसरा पांचसाला की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.03 प्रस्तुत की है।
- प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिवक्ता ने तर्क में यह बताया है कि प्रतिवादी कमांक-1 ने विवादित भूमि दिनांक-31.10.75 के विकयपत्र द्वारा बखरूलाल की पत्नी एवं पुत्र-पुत्रियों से क्य कर कब्जा प्राप्त किया था। इस संबंध में वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि की रजिस्द्री प्रतिवादी क्रमांक 01 सहरूलाल के नाम पर है। वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 08 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के खसरे में प्रतिवादी क्रमांक 01 सहरूलाल का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। वादी ने स्वयं ही उसकी साक्ष्य में विवादित भूमि का स्वामी प्रतिवादी क्रमांक-1 को होना स्वीकार किया है। वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 09 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने 70 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तृत नहीं किया है। वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह भी स्वीकार किया है कि तहसीलदार बैहर के न्यायालय में प्रतिवादी क्रमांक 01 के खिलाफ राजस्व प्रकरण पेश किया था। उक्त राजस्व प्रकरण गुण–दोष के आधार पर निरस्त हो गया है। वादी के साक्षी भारत दिवान वा.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में यह बताया है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसका नाम दर्ज है उसे पता नहीं है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का कब्जा किसने प्राप्त किया है वह नहीं बता सकता।
- 10. वादी के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि वादी का विवादग्रस्त भूमि पर 70 वर्षों से कब्जा है। पटवारी द्वारा किये गये स्थल जांच प्रतिवेदन एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होना पाया गया था एवं वादी का विवादित भूमि पर उसके पिता के समय से ही उसका कब्जा है। वादी द्वारा प्रतिवादी को कभी कोई कब्जा नहीं दिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में बताया है कि उसने विवादित भूमि बखरूलाल की पत्नी

से दिनांक—31.10.1975 को क्य की है। प्रतिवादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में यह बताया है कि वादी ने विवादित भूमि पर कब्जा होने के संबंध में आवेदन लगाया था, जो निरस्त हो गया है।

- 11. वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया जाये तो ग्राम कटंगी के भूमि सर्वे कमांक 97 रकबा 0.162 के खसरा पांचसाला, प्रदर्श पी—1 पर सहरूलाल का नाम भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्र.पी.02 का स्थल निरीक्षण पंचनामा एवं प्र.पी.03 का स्थल जांच प्रतिवेदन दिनांक—20.11.2014 को बने हैं। स्थल जांच प्रतिवेदन में यह लिखा है कि भूमि सर्वे कमांक—97 रकबा 0.162 हेक्टेयर भूमि सहरू के नाम से दर्ज है एवं आवेदक सूबेलाल का 0.72 हेक्टेअर भूमि पर कब्जा होना लिखा है। स्थल निरीक्षण पंचनामा में यह लिखा है कि मौके का स्थल निरीक्षण किये जाने पर ग्राम वासियों ने मौके पर 70 वर्षों से सूबेलाल का कब्जा होना बताया है। सूबेलाल द्वारा सरसों एवं तुअर की फसल लगाई गई है। सूबेलाल का 0.072 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा पाया गया था, परन्तु वर्ष 2015—16 एवं वर्ष 2016—17 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे कमांक—97 रकबा 0.162 हेक्टेयर भूमि में सहरूलाल एवं माहू का नाम भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है।
- प्रतिवादी द्वारा प्रस्तृत किये गये प्र.डी.०१ के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं प्र.डी. 12. 02 के विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि में यह उल्लेख है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 सहरूलाल ने बखरूलाल की पत्नी एवं पुत्र-पुत्रियों से दिनांक 31.10.75 के रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा ग्राम कटंगी की भूमि सर्वे कमांक 97 रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था। प्र.डी.०१ का विक्रय पत्र लगभग 43 वर्ष पूर्व का है। वादी ने प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि वादी विवादित भूमि पर किस तारीख को आधिपत्य में आया था एवं उसके आधिपत्य की प्रकृति क्या थी। प्र.डी.०३ के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे कमांक-97 रकबा 0.162 हेक्टेअर भूमि पर प्रतिवादी सहरूलाल एवं माहू का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। प्रदर्श डी-1 के रजिस्टर्ड विक्यपत्र द्वारा प्रतिवादी सहरूलाल ने विवादित भूमि क्रय की थी, इससे यह दर्शित है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सहरूलाल के नाम पर दर्ज है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जाता है कि 70 वर्ष से विवादित भूमि पर वादी का प्रतिवादी की जानकारी में आधिपत्य चला आ रहा है। प्रकरण की उक्त स्थितियों को देखते हुए विवादित भूमि पर वादी का विरोधी नहीं मानते हुए वादी को विवादित भूमि का स्वामी नहीं माना जाता है। वादी वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 की उसके पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है।

वादप्रश्न कमांक-03 का निराकरण

13. प्रकरण में विवादित भूमि पर वादी का विरोधी आधिपत्य नहीं माना गया है एवं वादी को विरोधी आधिपत्य के आधार पर विवादित भूमि का स्वामी भी नहीं माना गया है। प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वादी का प्रतिवादी की जानकारी में विवादित भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा था। विवादित भूमि पर वादी का विरोधी आधिपत्य प्रमाणित नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादी को वादी की बेदखली की कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार से निषेधित किया जाना उचित नहीं है। वादी वादप्रश्न क्रमांक—3 को उसके पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है।

वादप्रश्न कमांक-4 सहायता एवं खर्च

14. वादी प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में भूमि सर्वे क्रमांक—97 रकबा 40 डिसमिल ग्राम कटंगी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट के संबंध में अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है।

ATTENDED OF THE PARTY OF THE PA

1— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

2- अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह) द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग—1, बैहर द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग—1,बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट तहसील बैहर जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)